न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 58 / 2022
GCMS No 2022 / 46

1. श्री कमलेश पिता नानालाल जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. मु0 देउबाई बेवा नानालाल जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. श्री देवकिशन पिता हेमराज जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. श्री बाबुलाल पिता हेमराज जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. प्रेमबाई पुत्री हेमराज जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
6. नारायणी बेवा हेमराज जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपरिथत :– 1– श्री रामचन्द्र धाकड – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पेरोकार सरकार तहसीलदार – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 30.11.2022

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा बांगरेडा पटवार हल्का बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है जो जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 208 आराजी नम्बर 690 रकबा 1.4600 हेक्टेयर संयुक्त दर्ज राजस्व रेकार्ड है। इससे पुर्व उक्त आराजीयात जरिये [illegible] 1424 से धन्ना पिता देवा नायक के वारीसानों के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड हुआ। [illegible] मात्र पुत्र हेमराज उर्फ हेमा था जिसका देहान्त उसके [illegible] गया था इसलिए इन्तकाल धन्ना के बाद उसके पुत्र के पुत्र पुत्रियों व बेवा [illegible] म दर्ज रेकार्ड हुआ। इन्तकाल की प्रमाणित प्रति एवं जमाबन्दी की वर्तमान प्रति [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 11:08:09 IST
Reason: SelfAttested

2. उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण की जाति नायक होकर गॉव बांगरेडा के स्थाई निवासी है। लेकिन जमाबन्दी के रोटेशन में जो कम्प्युटर के अन्दर इन्द्राज कराया गया उसमें हम प्रार्थीगण की जाति नायक के स्थान पर सरगरा अंकित संहवन से हो गई है उसी प्रकार प्रार्थी संख्या एक कमलेश के निवास स्थाई जो कि स्थाई रूप से बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा का स्थाई निवासी है लेकिन राजस्व रेकार्ड की नवीन

जमाबन्दी में जमुनिया कला अंकित हो गया है जिसको पुनः राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किया जाना न्यायोचित है।

3. प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि मोझा बांगरेडा पटवार हल्का बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा में नवीन खाता संख्या 208 में नवीन आराजी नम्बर 690 रकबा 1.4600 हेक्टेयर में हम प्रार्थीगण के जाति सरगरा के स्थान पर नायक एवं प्रार्थी एक कमलेश को साकिन जमुनिया कला के स्थान पर पुर्वानुसार गॉव बांगरेडा तहसील निम्बाहेडा पुनः सही जाति एवं गॉव का नाम दर्ज की जावे। प्राथीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज प्रार्थी क्रमांक 1 कमलेश पिता नानालाल नायक के पेन कार्ड,आधार कार्ड,बैंक पास बुक,विक्रय विलेख की छाया प्रतियॉं,प्रार्थीया क्रमांक 2 मु0 देउबाई बेवा नानालाल नायक के आधार कार्ड,बैंक पास बुक,खातेदारी जमीन की जमाबन्दी की छाया प्रतियॉं,प्रार्थी क्रमांक 3 देवकिशन पिता हेमराज के खातेदारी जमीन की जमाबन्दी,आधार कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस, क्रमांक 4 बाबुलाल पिता हेमराज के खातेदारी जमीन की जमाबन्दी की छाया प्रति, प्रार्थीया 5 प्रेमबाई पुत्री हेमराज नायक के खातेदारी जमीन की जमाबन्दी की छाया प्रति पेश की जिसमे प्रार्थीगण क्रमांक 1 के गॉव बांगरेडा एवं प्रार्थीगण क्रमांक 2 से 5 की जाति नायक अंकित है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति कमलेश पिता नानालाल का नाम राजस्व रिकार्ड मे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.6.2018 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ । उक्त रजिस्टर्ड विक्रय श्रीमती गंगा बाई पत्नि श्री मांगीलाल निवासी जमुनिया कला से कमलेश नायक पिता श्री नानालाल नायक निवासी बांगरेडा द्वारा उक्त भूमि को क्रय की गई । रजिस्टर्ड विक्रय मे विक्रेता के गांव का नाम जमुनिया कला अंकित होने के कारण इनके गांव का नाम भी जमुनिया कला राजस्व रिकार्ड मे अंकन हो गया जबकि क्रेता श्री कमलेश नायक पिता श्री नानालाल नायक निवासी बांगरेडा है जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व अन्य दस्तावेजो से इसकी पुष्टि होती है । अन्य सारणी मे वर्णित काश्तकारो की जाति नायक है जमाबंदी संवत 1958–1961 में खाता संख्या 154 में मूल खातेदार श्री देऊबाई पत्नि नानालाल 1/2, धन्ना पिता देवा 1/4, सीताबाई बेवा रामा 1/4 जिसके बाद मे जरिये नामान्तरण संख्या 1424 विरासत से धन्ना पिता देवा के बजाय बाबू, देवकिशन, प्रेमबाई पिता हेमा, नारायणी बेवा हेमा 1/4 जाति नायक दर्ज हुआ । अतः इसकी जाति नायक दर्ज है । उक्त खाता शुद्धि से नामान्तरण संख्या 416 दिनांक 9.2.2016 द्वारा शुद्धि पत्र खाते में बाबु, देवकिशन, प्रेमबाई पिता हेमा के बजाय बाबूलाल, देवकिशन, प्रेमबाई पिता हेमराज दर्ज हुआ । इन सभी की जाति नायक दर्ज है। कम्प्यूटर में जमाबदी के रोटेशन से इसमे जाति की त्रुटि हो गई जिससे नायक की बजाय सरगरा दर्ज हो गई। अतः लिपिकीय त्रुटि से जाति नायक की बजाय सरगरा दर्ज हो गई जिसकी पुष्टि दस्तावेजो एवं तहसीलदार रि[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 11:08:09 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कि[illegible] तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा [illegible] निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया [illegible] हल्का बांगरेडा की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब मे अंकन किया कि खातेदार की जाति एवं निवास स्थान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 पर खाता नम्बर 402 पर दर्ज देऊबाई पत्नी नानालाल 1/2 बाबू, देवकिशन प्रेमबाई पिता हेमा मु0 नारायणी पत्नी स्व. हेमा 1/4 सा. देह गंगाबाई पत्नी मांगीलाल सरगरा 1/4 सा. जमुलिया कला खातेदार दर्ज रेकार्ड होकर बीओबी निम्बाहेडा हिस्सा देऊबाई का

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

रहन दर्ज किया हुआ है। नामान्तरकरण सं0 655 दिनांक 20.06.2018 से विक्रय द्वारा हिस्सा गंगाबाई पत्नी मांगीलाल सरगरा द्वारा विक्रय से क्रेता कमलेश पिता नानालाल नायक के नाम दर्ज हुई है। यह कि गत जमाबन्दी संवत् 2058–2061 के खाता नम्बर 154 पर खातेदार मु0 देऊबाई पत्नी नानालाल 1/2 धन्ना पिता देवा 1/4 मु0 सीताबाई बेवा रामा 1/4 नायक शेष बदस्तूर आ0न0 1093/316 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा अंकन किया हुआ है। नवीन सेटलमेंट में मिलान क्षेत्रफल शीट अनुसार आराजी न0 690 रकबा 1.46 है0 बनाया गया है। तत्पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2077–2080 रोटेशन सेग्रीगेशन के खा.नं. 208 पर खातेदार कमलेश पिता नानालाल 1/4 जाति नायक सा. जमुलिया कला, देऊबाई पत्नी नानालाल 1/2 जाति सरगरा रहन बद़्‌ंदस्तूर देवकिशन पिता हेमराज 1/16 जाति सरगरा, नारायणी पत्नी हेमराज हिस्सा 1/16 जाति सरगाारा सा0 देह दर्ज किया हुआ है। खातेदार की जाति एवं निवास स्थान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाते के मुकाबले नवीन रोटेशन जमाबन्दी सेग्रीगेशन के वक्त कम्प्यूटर प्रिन्ट में चेन्ज होना पाया गया है इसलिए खातेदारान का निवास स्थान एवं जाति सही किया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्‌वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि खाता संख्या 208 आराजी नम्बर 690 रकबा 1.4600 हेक्टेयर में खातेदार की जाति एवं निवास स्थान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाते के मुकाबले नवीन रोटेशन जमाबन्दी सेग्रीगेशन के वक्त कम्प्यूटर प्रिन्ट में चेन्ज होना पाया गया है। इसलिए प्रस्तावित खातेदारान का निवास स्थान एवं जाति में अंकन दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ...डा (राज.)

अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा सम्वत् 2077–2080 खाता संख्या 208 आराजी नम्बर 690 रकबा 1.4600 हेक्टेयर में खातेदार की जाति एवं निवास स्थान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाते के मुकाबले नवीन रोटेशन जमाबन्दी सेग्रीगेशन के वक्त कम्प्यूटर प्रिन्ट में चेन्ज होना पाया गया है जो प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज प्रार्थी क्रमांक 1 कमलेश पिता नानालाल नायक के पेन कार्ड,आधार कार्ड,बैंक पास बुक,विक्रय विलेख की छाया प्रतियॉं,प्रार्थीया क्रमांक 2 मु0 देउबाई बेवा नानालाल नायक के आधार कार्ड,बैंक पास बुक,खातेदारी जमीन की जमाबन्दी की छाया प्रतियॉं,प्रार्थी क्रमांक 3 देवकिशन पिता हेमराज के खातेदारी जमीन की जमाबन्दी,आधार कार्ड,ड्राईविंग लाईसेंस, क्रमांक 4 बाबुलाल पिता हेमराज के खातेदारी जमीन की जमाबन्दी की छाया प्रतियॉं क्रमांक 5 प्रेमबाई पुत्री हेमराज नायक के खातेदारी जमीन की जमाबन्दी की छाया प्रतियॉं पेश की जिसमे प्रार्थीगण क्रमांक 1 के गॉव बांगरेडा एवं प्रार्थीगण क्रमांक 2 से 5 की जाति नायक दस्तावेजो के आधार पर प्रमाणित होती है। प्रार्थी क्रमांक 1 का गॉव बांगरेडा का निवास स्थान एवं प्रार्थीगण क्रमांक 2 से 5 की जाति नायक निम्नानुसार सही किये जाने हेतु उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 11:08:09 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 राजस्व ग्राम बांगरेडा पटवार मण्डल बांगरेडा भू0अ0नि0 गादोला के खाता संख्या 208 आराजी नम्बर 690 रकबा 1.

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

4600 हेक्टेयर में खातेदार की जाति एवं निवास स्थान जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाते के मुकाबले नवीन रोटेशन जमाबन्दी सेग्रीगेशन के वक्त कम्प्यूटर प्रिन्ट में चेन्ज होना पाया गया है जो इसलिए प्रस्तावित खातेदारान का निवास स्थान एवं जाति में अंकन दुरुस्त कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

क्र0स0	वर्तमान प्रविष्टी जमाबन्दी 2077–2080	संशोधित प्रविष्टी
1	कमलेश पुत्र नानालाल हिस्सा 1/4 जाति नायक सा. जमुलिया कला	1.कमलेश पुत्र नानालाल नायक 1/4 जाति नायक सा. बांगरेड़ा
2.	देऊबाई पत्नी नानालाल 1/2 जाति सरगरा सा. देह	2. देऊबाई पत्नी नानालाल नायक सा. देह रहन– BOB NBH
3.	देवकिशन पुत्र हेमराज 1/16 जाति सरगरा सा. देह	3. देवकिशन पुत्र हेमराज 1/16 जाति नायक सा. देह
4.	प्रेमबाई पुत्री हेमराज 1/16 जाति सरगरा सा. देह	4. प्रेमबाई पुत्री हेमराज 1/16 जाति नायक सा. देह
5.	बाबुलाल पुत्र हेमराज 1/16 जाति सरगरा सा. देह	5. बाबुलाल पुत्र हेमराज 1/16 जाति नायक सा. देह

शेष खाता बदस्तुर हैं ।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 11:08:09 IST
Reason: SelfAttested